

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एम.

मुकदमा संख्या :- 25/2022

अनवान मुकदमा -

1. गुरमीतसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह जाति जटसिख निवासी अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ(राजस्थान)।

-- वादी

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री श्रवणसिंह जाति जटसिख निवासी अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ(राजस्थान)।
2. परमजीत कौर पुत्री श्री लक्ष्मणसिंह जाति जटसिख निवासी अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ(राजस्थान)।
3. नवनीतकौर पुत्री श्री लक्ष्मणसिंह जाति जटसिख निवासी अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ(राजस्थान)।
4. मनजीत कौर पुत्री श्री लक्ष्मणसिंह जाति जटसिख निवासी अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ(राजस्थान)।
5. शरणजीत कौर पुत्री लक्ष्मणसिंह जाति जटसिख निवासी अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ(राजस्थान)।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व)पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।

-- प्रतिवादीगण

--:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा ::--

--:: उपस्थित अभिभाषक ::--


1. श्री संजीव आहुजा अधिवक्ता -- वादी
2. श्री सोहनलाल सुथार अधिवक्ता -- प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5
3. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा -- प्रतिवादी सं. 6

--:: निर्णय :-

दिनांक - 02/02/2022

वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में अंकित किया गया है।

वादी एवं प्रतिवादीगण का सजरा खानदान पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 यानि वादीगण के पिता श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री श्रवणसिंह जाति जटसिख के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 19 पी बी एन-बी के खाता संख्या 15/2/0.025 प.न.10/327(41)के किला नम्बर 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.0.202, 5/2/0.051, 6/1/0.228,


02/02/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

6/2/0.025, 7 ता 14/2.024, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 2.024, 25/1/0.228, 25/2/0.025 की कुल 6.325 हैक्टर मे से प्रतिवादी संख्या 1 का 1054/6325 हिस्सा यानि 1.054 हैक्टर हिस्सा व तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 33 एस टी जी के खाता संख्या 110/81 के प.न.16/328(3)किला नम्बर 2/0.089, 3/1/0.177, 4 ता 8/1.265, 9/0.240, 10/0.089, 11/1/0.227, 11/2/0.013, 12 ता 19/2.024, 20/1/0.215, 20/2/0.038, 21/1/0.215, 21/2/0.038, 22 ता 25/1.012 की 5.642 हैक्टर, प.न.17/328(4) किला नम्बर 1/3/0.152, 1/4/0.025, 10-11/0.506 की कुल 0.683 हैक्टर इस प्रकार दोनो पत्थरो की कुल 6.325 हैक्टर मय गैर मुर्कन में से प्रतिवादी संख्या-1 का 3668/6325 हिस्सा यानि 3.668 हैक्टर दर्ज राजस्य रिकार्ड याके है।


प्रतिवादी के पिता ने तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 33 एस टी जी के खाता संख्या 110/81 मे से अपने हिस्सा 3.668 हैक्टर मे से 0.506 हैक्टर भूमि पुर्य मे श्री कर्मजीतसिंह-पुत्र श्री बलदेवसिंह व श्री अमनदीपसिंह पुत्र श्री सुखदेवसिंह जाति जटसिंह निवासी डींगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ(राजस्थान)को विक्रय कर दी है तथा मौका पर मिन वादी के पिता यानि प्रतिवादी संख्या 1 के पास 3.162 हैक्टर भूमि का कब्जा है तथा बैयनामा की चित्र प्रति शामिल वादपत्र की गई है।

इस प्रकार उक्त भूमि मे से 0.506 हैक्टर भूमि विक्रय कर दिये जाने के बाद मिन वादी के पिता या प्रतिवादी संख्या 1 के पास कुल (1.054+3.162)कुल 4.216 हैक्टर शेष कृषि भूमि है। जमावन्दी चक नम्बर 33 एस टी जी व चक नम्बर 19 पी वी एन-बी शामिल वाद पत्र की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि मिन वादी के दादा श्री श्रवणसिंह पुत्र श्री निकासिंह से विरास्तन प्राप्त हुई है जिसमे मिन वादी का भी जन्म से हक व हिस्सा है जिसको प्राप्त करने का वादी कानुनी अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की उक्त शेष भूमि 4.216 हैक्टर मे से वादीगण को 1/6 हिस्सा यानि 0.7026 हैक्टर हिस्सा जन्म से प्राप्त हुआ है व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपना-अपना तमाम 5/6 हिस्सा यानि प्रत्येक ने अपना-अपना 1/6,1/6 हिस्सा यानि कुल 3.513 हैक्टर हिस्सा का हक त्याग मिन वादी के हक मे हक त्याग कर रखा है इस प्रकार मौका पर वादी के पास तमाम 0.7026 हैक्टर स्वयं का हिस्सा व 3.513 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा हक त्याग कर देने के बाद कुल 4.216 हैक्टर भूमि मौका पर घरेलु वंटवारा के आधार पर प्राप्त है तथा उक्त भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने का वादी कानूनी तौर से अधिकारी व दावेदार है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

दावा की मद संख्या 2 मे वर्णित कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 19 पी वी एन-बी के खाता संख्या 154/70 की कुल 6.325 हैक्टर मे से प्रतिवादी संख्या 1 का 1054/6325 हिस्सा यानि 1.054 हैक्टर व तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 33 एस टी जी के खाता संख्या 110/81 कुल 6.325 हैक्टर मे से प्रतिवादी


सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

संख्या 3668/6325 हिस्सा यानि 3.668 हैक्टयर मे से बकाया 3.162 हैक्टयर हिस्सा इस प्रकार दोनो चको की कुल 4.216 हैक्टयर मे से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी के हक मे खातेदारी घोषणा की जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 31.01.2022 को वादी व प्रतिवादीगण मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 6 का जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40-53, 38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975-478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आरटीए की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

-:: आदेश ::-

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादी एवं

02/07/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपप्लण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 19 पी बी एन-बी के खाता संख्या 154/70 की कुल 6.325 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 का 1054/6325 हिस्सा यानि 1.054 हैक्टर व तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 33 एसटीजी के खाता संख्या 110/81 कुल 6.325 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 3668/6325 हिस्सा यानि 3.668 हैक्टर में से बकाया 3.162 हैक्टर हिस्सा इस प्रकार दोनों चकों की कुल 4.216 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी के हक में खातेदारी घोषणा की जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

02/02/2022
(रणजीत कुमार) कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा